

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 141/2023

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.



1. सुशील कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रविन्द कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रामेश्वरलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. जगदीश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. रामलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. शिवप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. इन्दा देवी पुत्री श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. राजकुमार पुत्र स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. रंजय पुत्र स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. विनोद पुत्री स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान... 2023

शिविर प्रभारी (SDO)

शिविर स्थल... 2/12/5

- प्रतिवादीगण

लगातार --2

उपरिस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बैरह, एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप गुण्ड, एडवोकेट



निर्णय दिनांक :-

वादीगण सुशील कुमार वगैरा ने प्रतिवादीगण हनुमान प्रसाद वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 5 वादीगण के चाचा, प्रतिवादी सं. 6 वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 10 वादीगण की बुआ के लड़के एवं लड़की है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण की स्व. दादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की स्व. माता, प्रतिवादी सं. 7 ता 11 की स्व. नानी शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण की स्व. दादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की स्व. माता, प्रतिवादी सं. 7 ता 11 की स्व. नानी शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 99/70 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.012 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 ए.एम.पी. के खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.530 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 93/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.036 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.036 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्रप्रतियां संलग्न वाद पत्र है।

लगातार --3

प्रमाणित किया गया है  
शिविर प्रभारी (SDO)  
शिविर स्थल.....

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त की कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 6 ता 11 ने उक्त कृषि भूमि में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया इसलिये प्रतिवादी सं. 6 ता 11 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का कब्जाकाशत बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादीगण सुशील कुमार एवं रविन्द्र कुमार पुत्रगण श्री हनुमान प्रसाद समस्त जाति जाट निवासीगण अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/174	32	11/0.253 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

133/175 45 3/0.010 है.

मुमकिन 2.743 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 2.793 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/175	45	1,2,4/0.010 है.प्र., 5/1/0.010 है. कुल 0.040 है. कृषि भूमि

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/175	41	9,10,11/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 हनुमान प्रसाद पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा

लगातार --4

2/17/15  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर प्रभारी (SDO)

शिविर स्थल... अमरीरामदेवाला

जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
132/164	43	5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 रामेश्वरलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 93/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/174	16	11ता20/0.253 है.प्र.
135/174	17	11,20/0.253 है.प्र.
कुल 3.036 है. कृषि भूमि		



चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/174	16	21,22/0.253 है.प्र.
कुल 0.506 है. कृषि भूमि		

(घ) प्रतिवादी सं. 3 जगदीश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/174	16	23ता25/0.253 है.प्र.
134/175	41	1/0.253 है.
135/174	17	21,22,23/0.253 है.प्र.
कुल 1.771 है. कृषि भूमि		

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 110/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/175	41	2ता5/0.253 है.प्र.

2/17/15  
प्रशासन गांवों के सग अभियान 2023  
शिबिर प्रभारी (SDO) लंगातार --5  
शिबिर स्थल चक मनीरामदेवाला



135/175 40

1,2,3/0.253 है.प्र.

कुल 1.771 है. कृषि भूमि

(इ) प्रतिवादी सं. 4 रामलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू  
खाट तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/175 45

1,2,4/0.243 है.प्र., 5/1/0.218 है., 5/2/0.025 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7ता10/0.253 है.प्र.,

11ता13/0.037 है.प्र.,

मुमकिन 2.298 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 2.348 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/175 45

14/0.037 है., 15/1/0.029 है.

कुल 0.066 है. कृषि भूमि

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 99/70 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/170 5

19,22,23,24/0.253 है.प्र.

कुल 1.012 है. कृषि भूमि

चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

129/159 12

16ता18,23ता25/0.253 है.प्र.

कुल 1.518 है. कृषि भूमि

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/175 45

3/0.243 है.

कुल 0.243 है. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 5 शिवप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू  
खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की  
कृषि भूमि :-

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/175 45

14/0.216 है., 15/1/0.199 है., 15/2/0.025 है.,

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

प्रशासन कार्यों के लिए अभियान 2023  
शिवि प्रभाती (SDO)  
शिक्षण स्थल चक ईराधेवाला



17ता24/0.253 है.प्र.,  
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.  
मुमकिन 2.895 है., गै.मु. 0.075 है., कुल 2.970 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/175 45 11ता13/0.216 है.प्र.  
कुल 0.648 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 12 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 99/70 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77, तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77, तहसील संगरिया के चक 17 ए.एम.पी. के खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 93/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 एवं

तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 ता 8 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गईं। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11. संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुलोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण की स्व. दादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की स्व. माता, प्रतिवादी सं. 7 ता 11 की स्व. नानी शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण की स्व. दादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की स्व. माता, प्रतिवादी सं. 7 ता 11 की स्व. नानी शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 99/70 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.012 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 ए. एम.पी. के खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.530 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 93/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.036 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.036 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2022

शिविर प्रभारी (SDO)

शिविर स्थल चकड़ीराखिदेवाला

3.036 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादीगण मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटयारा वादीगण की स्व. दादी शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काशतकार घोषित कर मृतका शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम का नाम कलमजन किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण की स्व. दादी शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 99/70 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.012 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 4 को खातेदार काशतकार घोषित कर मृतका शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम का नाम कलमजन किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.793 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 4 को 0.243 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 ए.एम.पी. के खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.530 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 को 1.518 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.036 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.759 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण के

लगातार --9

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023


शिविर प्रभारी (SDO)

शिविर स्थल... चकडीरा सिडेवाला


चाचा प्रतिवादी सं. 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.040 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 5 को 0.648 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा कम किया जाता है तथा इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 को 0.066 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा कम किया जाता है।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.5.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
17/5/23  
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023  
शिविर प्रभारी (SDO)  
शिविर स्थल. 



# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)


प्रकरण सं. 141/2023

1. सुशील कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रामेश्वरलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. जगदीश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. रामलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. शिवप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. इन्द्रा देवी पुत्री श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. राजकुमार पुत्र स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. संजय पुत्र स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. विनोद पुत्री स्व. श्रीमती लाली पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. तहसीलदार(राजस्थान) संगरिया।



प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023  
शिविर प्रभारी (SDO) - प्रतिवादीगण  
शिविर स्थल... डिक्री राशि देव... तार - 2

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- .....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीया मिन जाकिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 मिन जाकिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादीगण सुशील कुमार एवं रविन्द्र कुमार पुत्रगण श्री हनुमान प्रसाद समस्त जाति जाट निवासीगण अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के एक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/174	32	11/0.253 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

133/175 45 3/0.010 है.

मुमकिन 2.743 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 2.793 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/175	45	1,2,4/0.010 है.प्र., 5/1/0.010 है. कुल 0.040 है. कृषि भूमि

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/175	41	9,10,11/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 हनुमान प्रसाद पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के एक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
132/164	43	5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार --2

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिधिर प्रभारी (SDO)

शिधिर स्थल.....

चकदीरा सिधवाला

(ग) प्रतिवादी सं. 2 रामेश्वरलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 93/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/174	16	11ता20/0.253 है.प्र.
135/174	17	11,20/0.253 है.प्र.
कुल 3.036 है. कृषि भूमि.		

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/174	16	21,22/0.253 है.प्र.
कुल 0.506 है. कृषि भूमि		

(घ) प्रतिवादी सं. 3 जगदीश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/174	16	23ता25/0.253 है.प्र.
134/175	41	1/0.253 है.
135/174	17	21,22,23/0.253 है.प्र.
कुल 1.771 है. कृषि भूमि		

चक 9 एम.जे.डी. खाता सं. 110/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/175	41	2ता5/0.253 है.प्र.
135/175	40	1,2,3/0.253 है.प्र.
कुल 1.771 है. कृषि भूमि		

(ङ) प्रतिवादी सं. 4 रामलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/175	45	1,2,4/0.243 है.प्र., 5/1/0.218 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7ता10/0.253 है.प्र., 11ता13/0.037 है.प्र.,

मुमकिन 2.298 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 2.348 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार —3

प्रशासन गांवों के सभा अभियान 2022

शिविर प्रभारी (SDO)

शिविर स्थल चक 13 राहिलेवाला

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/175 45 14/0.037 है., 15/1/0.029 है.

कुल 0.066 है. कृषि भूमि

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 99/70 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
132/170 5 19,22,23,24/0.253 है.प्र.

कुल 1.012 है. कृषि भूमि

चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
129/159 12 16ता18,23ता25/0.253 है.प्र.

कुल 1.518 है. कृषि भूमि

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/175 45 3/0.243 है.

कुल 0.243 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 5 शिवप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट

तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/175 45 14/0.216 है., 15/1/0.199 है., 15/2/0.025 है.,  
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,  
17ता24/0.253 है.प्र.,  
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

मुमकिन 2.895 है., गै.मु. 0.075 है., कुल 2.970 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 13 एम.जे.डी. खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/175 45 11ता13/0.216 है.प्र.

कुल 0.648 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीगण की स्व. दादी स्व. शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काशतकार घोषित कर मृतका शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार वादीगण की स्व. दादी शान्ति देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम

लगातार --4

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर प्रभारी (SDO)

शिविर स्थल - क.डी.रा.वि.द.वाला

से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 99/70 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.012 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 4 को खातेदार काशतकार घोषित कर मृतका शान्ति देवी पत्नी श्री मवीराम का नाम कलमजब किया जावे, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 122/14 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.793 है. कृषि भूमि के ब.हि.व. एवं प्रतिवादी सं. 4 को 0.243 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजब किया जावे, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 ए.एम.पी. के खाता सं. 95/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.530 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 को 1.518 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.036 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.759 है. कृषि भूमि के ब.हि.व. के तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/63 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.040 है. कृषि भूमि के ब.हि.व. के तथा प्रतिवादी सं. 5 को 0.648 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 101/73 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 3.036 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 को 0.066 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....X..... निल .....X..... मुक्लिक .....X..... निल .....X..... बाबत् .....X.....  
निल.....100..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 17.5.23 को जारी किया जाता है।



*[Signature]*  
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(यजस्व),

संगरिया  
प्रशासन गाँव के संग अभियान 2023  
शिबिर प्रभारी (SDO)  
शिबिर स्वतंत्रक घेरा विध्वाली